

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051	बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी .जे .टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400 001
---	--

**विषय: बोर्ड बैठक का परिणाम**

महोदया/महोदय,

हमारे दिनांक 31 जनवरी, 2020, 5 फरवरी, 2020 के पत्र और दिनांक 7 फरवरी, 2020 के पत्रों के अनुक्रम में, सूचित किया जाता है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने आज दिनांक 12 फरवरी, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में निम्नलिखित पर विचार किया और उस पर अनुमोदन प्रदान किया:

**1. दिनांक 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम (एकल एवं समेकित)**

इस संबंध में, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसरण में, दिनांक 31\_दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम (एकल एवं समेकित) एवं उसपर हमारे सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है।

**2. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रत्येक 10/- रुपए के प्रदत्त इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य पर 9.50 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की दर पर अंतरिम लाभांश के भुगतान की घोषणा**

साथ ही सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम लाभांश के भुगतान हेतु शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 02 मार्च, 2020 को 'रिकॉर्ड तारीख' के रूप में माना गया है।

लाभांश के भुगतान/डिस्पैच की तारीख 12 मार्च, 2020 को या उससे पूर्व होगी।

**3. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एक या अधिक ट्रेंच/सीरीज में विभिन्न ऋण सेगमेंटों के अंतर्गत संसाधनों के जुटाव अर्थात् संशोधित बाजार ऋण कार्यक्रम हेतु सीमाओं में संशोधन:**

क्र.सं.	स्त्रोत	राशि (करोड़ रु. में)
1	<b>दीर्घावधि ऋण (रुपया):</b> सावधि ऋण और दीर्घावधि कर-योग्य/कर-मुक्त बॉण्ड, स्थायी/रीडिमेबल, प्रतिभूत/अप्रतिभूत, संचयी/गैर-संचयी, गैर-परिवर्तनीय इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड/जीरो कूपन बॉण्ड/अधीनस्थ बॉण्ड/मुद्रास्फीति सूचकांक बॉण्ड/54ईसी की धारा के अंतर्गत पूंजीगत वृद्धि बॉण्ड/ पुट/कॉल विकल्प के साथ/बिना 30 वर्ष तक के कार्यकाल के लिए भौतिक और/या डीमैट रूप में अन्य बॉण्ड का सर्वजनी एवं निजी प्लेसमेंट तथा जो एनएसई और/या बीएसई पर सूचीबद्ध हों - इस सीमा से हटाए गए वर्ष के दौरान जुटाई और पूर्वभुगतान की गई दीर्घावधि निधियां	62,000

2	<b>दीर्घावधि विदेशी मुद्रा ऋण:</b> ऋणों/उप ऋणों/स्थायी बॉण्डों/अधीनस्थ बॉण्डों/बॉण्डों/नोटों/एफसीएनआर(बी) ऋणों या विदेश में जारी रुपए मूल्यवर्ग बॉण्ड/नोट सहित किसिस अन्य लिखत के माध्यम से (यूएसडी 3.66 बिलियन @ 1 यूएसडी= 71 रुपए)	26,000
3	<b>अल्पावधि ऋण:</b> अल्पावधि ऋण/आईसीडी/एफसीएनआर(बी) - वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान किसी भी समय बकाया। इस सीमा से हटाए गए वर्ष के दौरान जुटाई और पुनर्भुगतान की गई अल्पावधि निधियां	2,000
4	<b>वाणिज्यिक पेपर:</b> वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान किसी भी समय बकाया। इस सीमा से हटाए गए वर्ष के दौरान जुटाए और पुनर्भुगतान किए गए वाणिज्यिक पेपर	10,000
	<b>कुल</b>	<b>1,00,000</b>

- सभी फंक्शनल निदेशकों की सिफारिश पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफसी को 1,00,000 करोड़ रुपए की समग्र सीमा के भीतर उपर्युक्त विवरण के अनुसार विभिन्न स्रोतों में से राशि की अंतर-परिवर्तनीयता को अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान उपर्युक्त संशोधित बाजार ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद समय-समय पर जुटाई जाएंगी।

**4. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एक या अधिक ट्रेच/सीरीज में विभिन्न ऋण सेगमेंटों के अंतर्गत संसाधनों का जुटाव अर्थात संशोधित बाजार ऋण कार्यक्रम:**

क्र.सं.	स्रोत	राशि (करोड़ रु. में)
1	<b>दीर्घावधि ऋण (रुपया):</b> सावधि ऋण और दीर्घावधि कर-योग्य/कर-मुक्त बॉण्ड, स्थायी/रीडिमेबल, प्रतिभूत/अप्रतिभूत, संचयी/गैर-संचयी, गैर-परिवर्तनीय इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड/जीरो कूपन बॉण्ड/अधीनस्थ बॉण्ड/मुद्रास्फीति सूचकांक बॉण्ड/54ईसी की धारा के अंतर्गत पूंजीगत वृद्धि बॉण्ड/ पुट/कॉल विकल्प के साथ/बिना 30 वर्ष तक के कार्यकाल के लिए भौतिक और/या डीमैट रूप में अन्य बॉण्ड का सार्वजनिक एवं निजी प्लेसमेंट तथा जो एनएसई और/या बीएसई पर सूचीबद्ध हों - इस सीमा से हटाए गए वर्ष के दौरान जुटाई और पुनर्भुगतान की गई दीर्घावधि निधियां	55,000
2	<b>दीर्घावधि विदेशी मुद्रा ऋण:</b> ऋणों/उप ऋणों/स्थायी बॉण्डों/अधीनस्थ बॉण्डों/बॉण्डों/नोटों/एफसीएनआर(बी) ऋणों या विदेश में जारी रुपए मूल्यवर्ग बॉण्ड/नोट सहित किसिस अन्य लिखत के माध्यम से (* लगभग यूएसडी 2 बिलियन के समतुल्य)	15,000*
3	<b>अल्पावधि ऋण:</b> वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किसी भी समय बकाया अल्पावधि ऋण/आईसीडी/एफसीएनआर(बी) (डबल्यूसीडीएल/सीसी/ओडी सुविधाओं को छोड़कर)। इस सीमा से हटाए गए वर्ष के दौरान जुटाई और पुनर्भुगतान की गई अल्पावधि निधियां।	5,000
4	<b>वाणिज्यिक पेपर:</b> वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किसी भी समय बकाया। इस सीमा से हटाए गए वर्ष के दौरान जुटाए और पुनर्भुगतान किए गए वाणिज्यिक पेपर।	15,000
	<b>कुल</b>	<b>90,000</b>

- सभी फंक्शनल निदेशकों की सिफारिश पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफसी को 90,000 करोड़ रुपए की समग्र सीमा के भीतर उपर्युक्त विवरण के अनुसार विभिन्न स्रोतों में से राशि की अंतर-परिवर्तनीयता को अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान उपर्युक्त बाजार ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद समय-समय पर जुटाई जाएंगी।

बोर्ड बैठक दोपहर 12.00 बजे शुरू होकर अपराह्न 02.15 बजे समाप्त हुई।

धन्यवाद,

भवदीय,  
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)  
सीजीएम (सीपी) एवं कंपनी सचिव  
[mb@pfcindia.com](mailto:mb@pfcindia.com)

संलग्न: यथोपरि।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड							
ऊर्जा निधि 1, बाराखंबा लेन, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली वेबसाइट: <a href="http://www.pfcindia.com">http://www.pfcindia.com</a>							
सीआईएन L65910DL1986GOI024862							
दिनांक 31.12.2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के लिए अनंकेक्षित एकल वित्तीय परिणाम का विवरण							
							(करोड़ रु. में)
क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नौ माह		समाप्त वर्ष
		31.12.2019	30.09.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.03.2019
		(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
	परिचालनों से राजस्व						
(i)	ब्याज आय	8,144.03	7,989.83	7,254.02	23,665.16	20,804.06	28,432.68
(ii)	लाभांश आय	25.41	0.77	101.85	26.65	124.86	167.03
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	41.22	31.94	24.37	118.71	126.47	149.02
I.	परिचालनों से कुल राजस्व	8,210.66	8,022.54	7,380.24	23,810.52	21,055.39	28,748.73
II.	अन्य आय	0.96	1.75	1.60	7.96	8.27	17.58
III.	कुल आय (I+II)	8,211.62	8,024.29	7,381.84	23,818.48	21,063.66	28,766.31
	व्यय						
(i)	वित्तीय लागतें	5,495.49	5,439.13	4,790.07	16,301.11	14,001.83	18,987.62
(ii)	निवल अंतरण/ट्रांजेक्शन विनिमय हानि/(लाभ)	346.21	560.96	(347.21)	883.15	618.80	520.23
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	2.58	1.67	1.92	6.66	6.19	10.09
(iv)	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(लाभ)	(55.17)	(204.65)	361.22	(262.55)	(368.44)	(84.98)
(v)	वित्तीय लिखत पर क्षति	(53.35)	390.48	(289.82)	558.52	(361.82)	(871.48)
(vi)	कार्मिक हितलाभ व्यय	46.75	59.12	47.26	155.85	135.77	173.57
(vii)	मूल्यहास एवं परिशोधन	2.46	2.02	1.65	6.20	4.20	6.14
(viii)	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	8.32	25.84	23.93	44.60	56.20	100.50
(ix)	अन्य व्यय	22.88	21.07	20.00	60.21	71.14	108.83
IV.	कुल व्यय	5,816.17	6,295.64	4,609.02	17,753.75	14,163.87	18,950.52
V.	असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)	2,395.45	1,728.65	2,772.82	6,064.73	6,899.79	9,815.79
VI.	असाधारण मदें	-	-	-	-	-	-

VII.	कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)	2,395.45	1,728.65	2,772.82	6,064.73	6,899.79	9,815.79
	कर व्यय:						
	(1) वर्तमान कर:						
	वर्तमान वर्ष	461.57	97.40	830.60	1,130.84	1,626.20	2,346.50
	पूर्ववर्ती वर्ष	-	-	-	-	-	1.22
	(2) आस्थगित कर	253.76	473.99	(142.15)	713.75	438.23	515.15
VIII.	कुल कर व्यय	715.33	571.39	688.45	1,844.59	2,064.43	2,862.87
IX.	जारी परिचलनों से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)	1,680.12	1,157.26	2,084.37	4,220.14	4,835.36	6,952.92
X.	बंद परिचलनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात्)	-	-	-	-	-	-
XI.	अवधि के लिए लाभ/(हानि) (जारी एवं बंद परिचलनों से) (IX+X)	1,680.12	1,157.26	2,084.37	4,220.14	4,835.36	6,952.92
XII.	अन्य व्यापक आय						
(क)	(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा						
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	(3.17)	1.36	1.43	(2.72)	4.32	(3.63)
	- इक्विटी लिखत के उचित मूल्य पर निवल लाभ/(हानि)	56.49	(149.28)	84.89	(74.65)	(97.09)	(154.88)
	(ii) मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा						
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	0.26	(0.74)	0.44	(0.06)	1.32	1.69
	उप कुल (क)	53.58	(148.66)	86.76	(77.43)	(91.45)	(156.82)
(ख)	(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा						
	-नकदी प्रवाह हैज में हैजिंग लिखतों पर लाभ और (हानि) का लागू भाग	33.15	(24.02)	(30.08)	20.20	(32.01)	(77.08)
	(ii) मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा						
	- नकदी प्रवाह हैज में हैजिंग लिखतों पर लाभ और (हानि) का लागू भाग	(8.35)	(0.40)	11.19	(12.62)	11.19	26.93
	उप कुल (ख)	24.80	(24.42)	(18.89)	7.58	(20.82)	(50.15)
	अन्य व्यापक आय (क+ख)	78.38	(173.08)	67.87	(69.85)	(112.27)	(206.97)
XIII.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XI+XII)	1,758.50	984.18	2,152.24	4,150.29	4,723.09	6,745.95
XIV.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए)	2,640.08	2,640.08	2,640.08	2,640.08	2,640.08	2,640.08

XV.	अन्य इक्विटी (31 मार्च के अंकेक्षित तुलन-पत्र के अनुसार)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	40,647.91
XVI.	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए) (जारी परिचालनों के लिए):*						
	(1) मूल ईपीएस (रुपए)	6.36	4.38	7.90	15.98	18.32	26.34
	(2) तनुकृत ईपीएस (रुपए)	6.36	4.38	7.90	15.98	18.32	26.34
XVII.	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए) (बंद परिचालनों के लिए):*						
	(1) मूल ईपीएस (रुपए)	-	-	-	-	-	-
	(2) तनुकृत ईपीएस (रुपए)	-	-	-	-	-	-
XVIII.	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए) (जारी एवं बंद परिचालनों के लिए):*						
	(1) मूल ईपीएस (रुपए)	6.36	4.38	7.90	15.98	18.32	26.34
	(2) तनुकृत ईपीएस (रुपए)	6.36	4.38	7.90	15.98	18.32	26.34
* तिमाही एवं नौ माह के लिए ईपीएस वार्षिकीकृत नहीं हैं।							
एकल वित्तीय परिणाम के साथ संलग्न टिप्पणियों को देखें।							

1	कंपनी के उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा और सिफारिश लेखा-परीक्षा समिति द्वारा की गई है और इसके बाद दिनांक 12 फरवरी, 2020 को आयोजित अपनी संगत बैठकों में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है। ये सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षक गांधी मिनोचा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट और दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन हैं।																
2	वित्तीय परिणाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक ('इंड एसएस')-34 'अन्तरिम वित्तीय रिपोर्टिंग' और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।																
3	इंड एसएस 109 के अनुसार कंपनी द्वारा अनुरक्षित क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों और उनपर क्षति हानि भत्ता (प्रतिबद्धताओं को शामिल करते हुए) का ब्यौरा निम्नानुसार है																
	<b>(करोड़ रुपए में)</b>																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>विवरण</th> <th>31.12.2019 तक</th> <th>31.03.2019 तक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>क)</td> <td>क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण</td> <td>27,764.90</td> <td>29,540.31</td> </tr> <tr> <td>ख)</td> <td>अनुरक्षित क्षति हानि भत्ता</td> <td>14,653.73</td> <td>15,201.64*</td> </tr> <tr> <td>ग)</td> <td>क्षति हानि भत्ता कवरेज (%) (ख/क)</td> <td>52.78%</td> <td>51.46%</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	विवरण	31.12.2019 तक	31.03.2019 तक	क)	क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण	27,764.90	29,540.31	ख)	अनुरक्षित क्षति हानि भत्ता	14,653.73	15,201.64*	ग)	क्षति हानि भत्ता कवरेज (%) (ख/क)	52.78%	51.46%
क्र.सं.	विवरण	31.12.2019 तक	31.03.2019 तक														
क)	क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण	27,764.90	29,540.31														
ख)	अनुरक्षित क्षति हानि भत्ता	14,653.73	15,201.64*														
ग)	क्षति हानि भत्ता कवरेज (%) (ख/क)	52.78%	51.46%														

	* प्रतिबद्धताओं पर क्षति को शामिल करने के लिए पुनःसमूहित किया गया
4	विवेकपूर्ण तौर पर, क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों पर आय केवल तभी मान्य है जब प्रत्याशित वसूली बकाया ऋण राशि से अधिक हो।
5	कंपनी ने दिनांक 30.03.2019 के कंपनी (भारतीय लेखा मानक) दूसरा संशोधन नियमावली, 2019 के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करके दिनांक 01.04.2019 से इंड एस 116 - 'लीज' को अपनाया है। इसके परिणामस्वरूप 36.20 करोड़ रुपए का 'राइट टू यूज एसेट' और 8.82 करोड़ रुपए की 'लीज देयता' को मान्यता मिली है। दिनांक 31.12.2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के लिए लाभ पर प्रभाव भौतिक नहीं है।
6	दिनांक 30.09.2019 को समाप्त अवधि के दौरान, कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों ने कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2019 द्वारा यथा स्थापित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीए के अंतर्गत अनुमत विकल्प का उपयोग किया है। दिनांक 31.12.2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के लिए आयकर (वर्तमान कर) हेतु प्रावधान को वार्षिकीकृत आधार पर मान्यता दी गई है। साथ ही, वार्षिक प्रभावी आयकर दर और वित्तीय वर्ष में परिवर्तन के प्रभाव को संशोधित करके धारा 115बीए के अंतर्गत निर्धारित दर के आधार पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयता को पुनः मापा गया है।
7	निदेशक मंडल ने दिनांक 12.02.2020 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 95% की दर पर अन्तरिम लाभांश घोषित किया है अर्थात् प्रत्येक 10 रुपए के इक्विटी शेयर पर 9.50 रुपए।
8	दिनांक 31.12.2019 तक कंपनी द्वारा जारी किए गए और बकाया सभी प्रतिभूत बॉण्ड के लिए, निर्दिष्ट अचल संपत्तियों और/या कंपनी की प्राप्तियों पर प्रभार पर मोर्टगेज के रूप में 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।
9	वर्तमान तिमाही के दौरान, भारत सरकार ने फरदर फंड ऑफर के संबंध में कंपनी में धारित 42,83,810 इक्विटी शेयर भारत 22 ईटीएफ की एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) को हस्तांतरित किए हैं। तदनुसार, कंपनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी में भारत सरकार की शेयरधारिता दिनांक 30.09.2019 तक 56.16% से कम होकर दिनांक 31.12.2019 तक 55.99% हो गई।
10	इंड एस 108 "ऑपरेटिंग सेगमेंट्स" की अपेक्षानुसार बिजनेस/भौगोलिक सेगमेंट की रिपोर्टिंग के संदर्भ में, कंपनी के परिचालनों में केवल एक ही बिजनेस सेगमेंट शामिल है - विद्युत क्षेत्र संस्थाओं को ऋण प्रदान करना। अतः इंड एस 108 के अनुसार कोई रिपोर्ट-योग्य सेगमेंट नहीं है।
11	दिनांक 07.02.2019 के एमसीए आदेश (समामेलन के आदेश के अनुसार नियत तारीख) द्वारा दिनांक 01.04.2017 से कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के कंपनी से सामेलन के अनुसरण में, इस सामेलन को प्रभाव देने के लिए तुलनात्मक अवधि के वित्तीय परिणामों को समायोजित किया गया है।
12	पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनःसमूहित/क्रमबद्ध किया गया है, ताकि उनकी तुलना की जा सके।

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 12.02.2020

राजीव शर्मा  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
डीआईएन- 00973413

Gandhi Minocha & Co.  
Chartered Accountants,  
B-6, Shakti Nagar Extension,  
New Delhi – 110052  
Ph: 011 - 27303078, 42273690  
E-mail: gandhica@yahoo.com

Dass Gupta & Associates  
Chartered Accountants,  
B-4, Gulmohar Park,  
New Delhi – 110049  
Ph: 011-4611 1000  
E-mail: admin@dassgupta.com

**Independent Auditor's Review Report on Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31<sup>st</sup> December 2019 of the Company Pursuant to the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended**

To the Board of Directors of  
Power Finance Corporation Limited


1. We have reviewed the accompanying statement of unaudited standalone financial results of Power Finance Corporation Limited (the "Company") for the quarter and nine months ended year ended 31.12.2019 (the "Statement"), being submitted by the Company pursuant to the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the "Listing Regulations").
2. This Statement, which is the responsibility of the Company's management and approved by the Board of Directors of the Company, in its meeting held on 12.02.2020, has been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting" ("Ind AS 34"), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 as amended read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India. Our responsibility is to issue a report on the statement based on our review.
3. We conducted our review of the Statement in accordance with the Standard on Review Engagements (SRE) 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", issued by the Institute of Chartered Accountants of India. This Standard requires that we plan and perform the review to obtain moderate assurance as to whether the Statement is free of material misstatement. A review is limited primarily to inquiries of company personnel and analytical procedures applied to financial data and thus provides less assurance than an audit. We have not performed an audit and accordingly, we do not express an audit opinion.
4. Based on our review conducted as above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying Statement of unaudited financial results prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the aforesaid Indian Accounting Standard and other recognised accounting practices and policies has not disclosed the information required to be disclosed in terms of the Listing Regulations, including the manner in which it is to be disclosed, or that it contains any material misstatements.

Other Matter

5. The company has continued to provide expected credit loss in respect of loan assets and undisbursed letter of comfort as required under Ind AS 109, on the basis of document provided by an independent expert appointed by the Company. Since the calculation parameters require certain technical and professional expertise, we have relied upon the expected credit loss calculation so provided by the said independent expert.

Our conclusion on the statement is not modified in respect of above matter.

**FOR GANDHI MINOCHA & CO.**  
Chartered Accountants  
Firm's Registration No.: 000458N  
by the hand of

  
CA BHUPINDER SINGH  
Partner  
Membership No.092867  
UDIN: 20092867AAAAAD9513

Date: 12.02.2020  
Place: New Delhi

**FOR DASS GUPTA & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants  
Firm's Registration No.: 000112N  
by the hand of

  
CA NAREESH KUMAR  
Partner  
Membership No. 082069  
UDIN: 20082069AAAAAD1291



**Independent Auditor's Review Report on Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31<sup>st</sup> December 2019 of the Company Pursuant to the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended**



**To the Board of Director of  
Power Finance Corporation Limited**

- We have reviewed the accompanying Statement of Consolidated Unaudited Financial Results of Power Finance Corporation Limited (the 'Parent') and its subsidiaries (the Parent and its subsidiaries together referred to as the 'Group'), and its share of the net profit / (loss) after tax and total comprehensive income / (loss) of its associates and joint venture for the quarter and nine months ended 31.12.2019 (the 'Statement') attached herewith, being submitted by the Parent pursuant to the requirement of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the "Listing Regulations"). Attention is drawn to the fact that the consolidated figures for the corresponding quarter and nine months ended 31.12.2018, as reported in these financial results have been approved by the Parent's Board of Directors, but have not been subjected to review.
- This Statement, which is the responsibility of the Parent's management and approved by the Parent's Board of Directors in its meeting held on 12.02.2020, has been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting" ('Ind AS 34'), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, as amended read with relevant rules issued thereunder, and other accounting principles generally accepted in India. Our responsibility is to express a conclusion on the Statement based on our review.
- We conducted our review of the Statement in accordance with the Standard on Review Engagements (SRE) 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", issued by the Institute of Chartered Accountants of India. A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with Standards on Auditing and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

We also performed procedures in accordance with the circular issued by the SEBI under Regulation 33 (8) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, to the extent applicable.

- The Statement includes the results of the following entities:

<b>Parent</b>	
1.	Power Finance Corporation Limited
<b>Subsidiaries:</b>	
1.	REC Limited <sup>#</sup>
2.	PFC Consulting Limited <sup>#</sup>
3.	Power Equity Capital Advisors Private Limited (under process of striking off)
<b>Joint Venture Entity:</b>	
1.	Energy Efficiency Services Limited







<b>Associates:</b>	
1.	Coastal Maharashtra Mega Power Limited
2.	Orissa Integrated Power Limited
3.	Coastal Karnataka Power Limited
4.	Coastal Tamil Nadu Power Limited
5.	Chhattisgarh Surguja Power Limited
6.	Deoghar Infra Limited
7.	Bihar Infrapower Limited
8.	Sakhigopal Integrated Power Company Limited
9.	Ghogarpalli Integrated Power Company Limited
10.	Tatiya Andhra Mega Power Limited
11.	Deoghar Mega Power Limited
12.	Cheyyur Infra Limited
13.	Odisha Infrapower Limited
14.	Bihar Mega Power Limited
15.	Jharkhand Infrapower Limited

*# consolidated financial results considered for consolidation*

6. Based on our review conducted and procedures performed as stated in paragraph 3 above and based on the consideration of the review reports of other auditors referred to in paragraph 6 below, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying Statement, prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the aforesaid Indian Accounting Standard and other accounting principles generally accepted in India, has not disclosed the information required to be disclosed in terms of the Listing Regulations as amended, including the manner in which it is to be disclosed, or that it contains any material misstatement.

#### Other Matters

7. We did not review the unaudited financial results of one subsidiary included in the consolidated unaudited financial results, whose financial results reflect total revenues of ₹ 7,716.72 crore and ₹ 22,195.61 crore, total net profit after tax of ₹ 1,666.81 crore and ₹ 4,498.28 crore and total comprehensive income (net of tax) of ₹ 1,723.34 crore and ₹ 4,473.48 crore for the quarter and nine months ended 31.12.2019 respectively, as considered suitably in the consolidated unaudited financial results. These unaudited financial results have been reviewed by other auditors whose report has been furnished to us by the Management and our conclusion on the Statement, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this subsidiary, is based solely on the report of the other auditors and the procedures performed by us as stated in paragraph 3 above. The financial results of the subsidiary also includes share of net profit after tax of ₹ 3.05 crore and ₹ 7.36 crore and total comprehensive income (net of tax) of ₹ 3.05 crore and ₹ 4.12 crore for the quarter and nine months ended 31.12.2019 respectively in respect of one joint venture (JV) which has not been reviewed. Since said JV is common JV in group accordingly these numbers are forming part of numbers mentioned in para 7 below.
3. The consolidated unaudited financial results includes the financial results of two other subsidiaries which have not been reviewed by their auditors, whose financial results reflect total revenues of ₹ 59.19 crore and ₹ 101.11 crore, total net profit after tax of ₹ 38.70 crore and ₹ 56.90 crore and total comprehensive income of ₹ 38.70 crore and ₹ 56.90 crore for the quarter and nine months ended 31.12.2019 respectively, as considered in the consolidated unaudited financial results. The consolidated unaudited financial results also includes the Group's share of net profit after tax of ₹ 6.56 crore and ₹ 17.98 crore, total comprehensive income of ₹ 6.48 crore and ₹ 14.51 crore for the quarter and nine months ended 31.12.2019 respectively, as considered in the consolidated unaudited financial results, in respect of fifteen associates and one joint venture, based on their financial results which have not been reviewed by their auditors. According to the information and explanations given to us by the Management, these financial results are not material to the Group.



9. The Parent Company and its Subsidiary, REC Ltd., have provided expected credit loss in respect of loan assets and undisbursed letter of comfort as required under Ind AS 109, on the basis of document provided by an independent expert appointed by the Company. Since the calculation parameters require certain technical and professional expertise we have relied upon the expected credit loss calculation so provided by the said independent expert.


Our conclusion on the Statement is not modified in respect of the above matters.

**FOR GANDHI MINOCHA & CO.**

*Chartered Accountants*

Firm's Registration No.: 000458N

*by the hand of*


  
**CA BHUPINDER SINGH**  
*Partner*  
Membership No. 092867  
UDIN: 20092867AAAAAE9869

**FOR DASS GUPTA & ASSOCIATES**

*Chartered Accountants*

Firm's Registration No.: 000112N

*by the hand of*

  
**CA NARESH KUMAR**  
*Partner*  
Membership No. 082069  
UDIN: 20082069AAAAAE7074

**Date: 12.02.2020**

**Place: New Delhi**

---

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ऊर्जानिधि 1, बाराखंबा लेन, कनाॅट प्लेस, नई दिल्ली वेबसाइट: <http://www.pfcindia.com>

सीआईएन L65910DL1986GOI024862

दिनांक 31.12.2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के लिए अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणाम का विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नौ माह		समाप्त वर्ष
		31.12.2019	30.09.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.03.2019
		(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
	परिचालनों से राजस्व						
(i)	ब्याज आय	15,679.25	15,397.11	13,883.83	45,586.08	39,244.60	53,427.41
(ii)	लाभांश आय	20.94	16.03	4.24	37.44	28.49	76.63
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	53.26	34.62	117.90	147.67	348.76	374.11
(iv)	अन्य परिचालनगत आय	119.69	81.84	39.29	227.46	120.46	227.50
I.	परिचालनों से कुल राजस्व	15,873.14	15,529.60	14,045.26	45,998.65	39,742.31	54,105.65
II.	अन्य आय	4.90	7.95	5.69	22.06	26.60	51.18
III.	कुल आय (I+II)	15,878.04	15,537.55	14,050.95	46,020.71	39,768.91	54,156.83
	व्यय						
(i)	वित्तीय लागतें	10,261.77	10,152.69	8,871.15	30,352.27	25,480.51	34,626.82
(ii)	निवल अंतरण/ट्रांजेक्शन विनिमय हानि/(लाभ)	699.23	1,191.02	(879.57)	1,908.30	1,201.67	1,041.42
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	6.69	5.71	9.67	21.61	28.26	44.47
(iv)	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(लाभ)	(162.32)	(380.20)	1,573.91	(354.67)	(781.95)	263.54
(v)	वित्तीय लिखत पर क्षति	28.26	699.85	(263.33)	921.45	(139.82)	(625.73)
(vi)	प्रदान की गई सेवाओं की लागत	22.37	14.17	21.55	53.79	52.09	85.15
(vii)	कार्मिक हितलाभ व्यय	94.48	110.46	95.53	312.13	269.73	362.66
(viii)	मूल्यहास एवं परिशोधन	6.12	5.59	4.16	16.83	10.98	15.49
(ix)	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	39.53	52.68	48.97	127.47	141.11	206.32
(x)	अन्य व्यय	54.24	66.13	50.05	162.72	238.31	318.91
IV.	कुल व्यय	11,050.37	11,918.10	9,532.09	33,521.90	26,500.89	36,339.05

V.	असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)	4,827.67	3,619.45	4,518.86	12,498.81	13,268.02	17,817.78
VI.	असाधारण मदें	-	-	-	-	-	-
VII.	संयुक्त उद्यम एवं एसोसिएट्स में लाभ/(हानि) का शेयर	6.56	0.17	20.76	17.98	13.28	44.25
VIII.	कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)	4,834.23	3,619.62	4,539.62	12,516.79	13,281.30	17,862.03
	कर व्यय:						
	(1) वर्तमान कर:						
	वर्तमान वर्ष	933.18	345.03	1,634.35	2,435.23	3,093.52	4,182.75
	पूर्ववर्ती वर्ष	53.87	-	(0.69)	64.17	(0.69)	(12.75)
	(2) आस्थगित कर	460.46	777.49	(970.21)	1,233.84	939.46	1,051.76
IX.	कुल कर व्यय	1,447.51	1,122.52	663.45	3,733.24	4,032.29	5,221.76
X.	जारी परिचलनों से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VIII-IX)	3,386.72	2,497.10	3,876.17	8,783.55	9,249.01	12,640.27
XI.	बंद परिचलनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात)	-	-	-	-	-	-
XII.	अवधि के लिए लाभ/(हानि) (जारी एवं बंद परिचलनों से) (X+XI)	3,386.72	2,497.10	3,876.17	8,783.55	9,249.01	12,640.27
XIII.	अन्य व्यापक आय						
(क)	(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा						
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	(3.17)	9.32	1.43	5.24	11.78	(23.00)
	- इक्विटी लिखत के उचित मूल्य पर निवल लाभ/(हानि)	112.62	(222.11)	153.73	(114.96)	(122.33)	(202.25)
	- इक्विटी विधि का उपयोग करके संयुक्त उद्यम में लेखाबद्ध अन्य व्यापक आय/(हानि) का शेयर	0.02	(0.32)	-	(0.30)	0.19	(0.13)
	(ii) मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा						
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	0.26	(2.74)	(2.17)	(2.06)	(1.29)	8.46
	- इक्विटी लिखत के उचित मूल्य पर निवल लाभ/(हानि)	0.40	11.61	1.02	12.79	(0.80)	(0.68)
	- इक्विटी विधि का उपयोग करके संयुक्त उद्यम में लेखाबद्ध अन्य व्यापक आय/(हानि) का शेयर	(0.10)	0.07	-	(0.03)	0.04	-
	उप कुल (क)	110.03	(204.17)	154.01	(99.32)	(112.41)	(217.60)
(ख)	(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा						

	-नकदी प्रवाह हैज में हैजिंग लिखतों पर लाभ और (हानि) का लागू भाग	33.15	(24.02)	(30.08)	20.20	(32.01)	(77.08)
	- इक्विटी विधि का उपयोग करके संयुक्त उद्यम में लेखाबद्ध अन्य व्यापक आय/(हानि) का शेयर	-	-	-	(3.94)	-	-
	(ii) मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा						
	- नकदी प्रवाह हैज में हैजिंग लिखतों पर लाभ और (हानि) का लागू भाग	(8.35)	(0.40)	11.19	(12.62)	11.19	26.93
	- इक्विटी विधि का उपयोग करके संयुक्त उद्यम में लेखाबद्ध अन्य व्यापक आय/(हानि) का शेयर	-	(0.01)	-	0.80	-	-
	<b>उप कुल (ख)</b>	<b>24.80</b>	<b>(24.43)</b>	<b>(18.89)</b>	<b>4.44</b>	<b>(20.82)</b>	<b>(50.15)</b>
	<b>अन्य व्यापक आय (क+ख)</b>	<b>134.83</b>	<b>(228.60)</b>	<b>135.12</b>	<b>(94.88)</b>	<b>(133.23)</b>	<b>(267.75)</b>
<b>XIV.</b>	<b>अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XII+XIII)</b>	<b>3,521.55</b>	<b>2,268.50</b>	<b>4,011.29</b>	<b>8,688.67</b>	<b>9,115.78</b>	<b>12,372.52</b>
	<b>निम्नलिखित के कारण लाभ:</b>						
	- कंपनी के स्वामी	2,597.24	1,870.71	3,267.99	6,652.94	7,122.92	9,920.86
	- गैर-नियंत्रक ब्याज	789.48	626.39	608.18	2,130.61	2,126.09	2,719.41
		<b>3,386.72</b>	<b>2,497.10</b>	<b>3,876.17</b>	<b>8,783.55</b>	<b>9,249.01</b>	<b>12,640.27</b>
	<b>निम्नलिखित के कारण अन्य व्यापक आय:</b>						
	- कंपनी के स्वामी	108.05	(202.37)	103.27	(83.13)	(123.21)	(239.05)
	- गैर-नियंत्रक ब्याज	26.78	(26.23)	31.85	(11.75)	(10.02)	(28.70)
		<b>134.83</b>	<b>(228.60)</b>	<b>135.12</b>	<b>(94.88)</b>	<b>(133.23)</b>	<b>(267.75)</b>
	<b>निम्नलिखित के कारण कुल व्यापक आय:</b>						
	- कंपनी के स्वामी	2,705.29	1,668.34	3,371.26	6,569.81	6,999.71	9,681.81
	- गैर-नियंत्रक ब्याज	816.26	600.16	640.03	2,118.86	2,116.07	2,690.71
		<b>3,521.55</b>	<b>2,268.50</b>	<b>4,011.29</b>	<b>8,688.67</b>	<b>9,115.78</b>	<b>12,372.52</b>
<b>XV.</b>	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए)	2,640.08	2,640.08	2,640.08	2,640.08	2,640.08	2,640.08
<b>XVI.</b>	अन्य इक्विटी (31 मार्च के अंकेक्षित तुलन-पत्र के अनुसार)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	44,481.17

XVII.	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए) (जारी परिचालनों के लिए):*						
	(1) मूल ईपीएस (रुपए)	9.84	7.08	12.38	25.20	26.98	37.58
	(2) तनुकृत ईपीएस (रुपए)	9.84	7.08	12.38	25.20	26.98	37.58
XVIII.	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए) (बंद परिचालनों के लिए):*						
	(1) मूल ईपीएस (रुपए)	-	-	-	-	-	-
	(2) तनुकृत ईपीएस (रुपए)	-	-	-	-	-	-
XIX.	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए) (जारी एवं बंद परिचालनों के लिए):*						
	(1) मूल ईपीएस (रुपए)	9.84	7.08	12.38	25.20	26.98	37.58
	(2) तनुकृत ईपीएस (रुपए)	9.84	7.08	12.38	25.20	26.98	37.58
* तिमाही एवं नौ माह के लिए ईपीएस वार्षिकीकृत नहीं हैं।							
समेकित वित्तीय परिणाम के साथ संलग्न टिप्पणियों को देखें।							

1	समूह के इन वित्तीय परिणामों की समीक्षा और सिफारिश लेखा-परीक्षा समिति द्वारा की गई है और इसके बाद दिनांक 12 फरवरी, 2020 को आयोजित अपनी संगत बैठकों में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है। ये सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षक गांधी मिनोचा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट और दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन हैं। तथापि, इन वित्तीय परिणामों में रिपोर्ट किए गए अनुसार दिनांक 31.12.2018 को समाप्त तुलनात्मक अवधि के लिए समेकित आंकड़े सीमित समीक्षा के अधीन नहीं हैं, क्योंकि तिमाही समेकित वित्तीय परिणामों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा दिनांक अप्रैल 01, 2019 से अनिवार्य हुई है।								
2	समेकित वित्तीय परिणाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक ('इंड एसएस')-34 'अन्तरिम वित्तीय रिपोर्टिंग' और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।								
3	इंड एसएस 109 के अनुसार कंपनी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड द्वारा अनुरक्षित क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों और उनपर क्षति हानि भत्ता (प्रतिबद्धताओं को शामिल करते हुए) का ब्यौरा निम्नानुसार है								
	(करोड़ रुपए में)								
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>विवरण</th> <th>31.12.2019 तक</th> <th>31.03.2019 तक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	विवरण	31.12.2019 तक	31.03.2019 तक				
क्र.सं.	विवरण	31.12.2019 तक	31.03.2019 तक						



	क)	क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण	47,453.68	49,888.75
	ख)	अनुरक्षित क्षति हानि भत्ता	24,632.84	24,900.59*
	ग)	क्षति हानि भत्ता कवरेज (%) (ख/क)	51.91%	49.91%
* प्रतिबद्धताओं पर क्षति को शामिल करने के लिए पुनःसमूहित किया गया				
4	विवेकपूर्ण तौर पर, क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों पर आय केवल तभी मान्य है जब प्रत्याशित वसूली बकाया ऋण राशि से अधिक हो।			
5	कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों ने दिनांक 30.03.2019 के कंपनी (भारतीय लेखा मानक) दूसरा संशोधन नियमावली, 2019 के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करके दिनांक 01.04.2019 से इंड एस 116 - 'लीज' को अपनाया है। इसके परिणामस्वरूप 44.58 करोड़ रुपए का 'राइट टू यूज एसेट' और 15.42 करोड़ रुपए की 'लीज देयता' को मान्यता मिली है। दिनांक 31.12.2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के लिए लाभ पर प्रभाव भौतिक नहीं हैं।			
6	दिनांक 30.09.2019 को समाप्त अवधि के दौरान, कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों ने कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2019 द्वारा यथा स्थापित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीए के अंतर्गत अनुमत विकल्प का उपयोग किया है। दिनांक 31.12.2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के लिए आयकर (वर्तमान कर) हेतु प्रावधान को वार्षिकीकृत आधार पर मान्यता दी गई है। साथ ही, वार्षिक प्रभावी आयकर दर और वित्तीय वर्ष में परिवर्तन के प्रभाव को संशोधित करके धारा 115बीए के अंतर्गत निर्धारित दर के आधार पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयता को पुनः मापा गया है।			
7	निदेशक मंडल ने दिनांक 12.02.2020 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 95% की दर पर अन्तरिम लाभांश घोषित किया है अर्थात् प्रत्येक 10 रुपए के इक्विटी शेयर पर 9.50 रुपए।			
8	दिनांक 31.12.2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के लिए समेकित वित्तीय परिणामों में कंपनी के परिणाम, एक सहायक कंपनी के समेकित सीमित समीक्षित परिणाम और दो सहायक कंपनियों; एक संयुक्त उद्यम एंटीटी एवं पंद्रह एसोसिएट्स के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित परिणाम शामिल हैं। इन सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम एंटीटी और एसोसिएट्स के परिणाम इंड एस 110 - 'समेकित वित्तीय विवरण', इंड एस 111 - 'संयुक्त व्यवस्थाएं' और इंड एस 28 - 'एसोसिएट्स एवं संयुक्त उद्यम' के अनुसार समेकित किए गए हैं।			
9	इंड एस 108 "ऑपरेटिंग सेगमेंट्स" की अपेक्षानुसार बिजनेस/भौगोलिक सेगमेंट की रिपोर्टिंग के संदर्भ में, कंपनी के परिचालनों में केवल एक ही बिजनेस सेगमेंट शामिल है - विद्युत क्षेत्र संस्थाओं को ऋण प्रदान करना। अतः इंड एस 108 के अनुसार कोई रिपोर्ट-योग्य सेगमेंट नहीं है।			
10	पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनःसमूहित/क्रमबद्ध किया गया है, ताकि उनकी तुलना की जा सके।			
<p>स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 12.02.2020</p> <p>राजीव शर्मा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन- 00973413</p>				